# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

| प्रार्थना–पत्र सं. | धारा अंतर्गत | ग्राम | तहसील |
|---|---|---|---|
| 41/23 | 136 LR Act | कल्याणपुरा | बारां |

| वादी | वाद शीर्षक | प्रतिवादी |
|---|---|---|
| नारायण | बनाम | तहसीलदार, बारां |

वकील :– श्री मुरारी लाल एड0

**आदेश पत्रक** वकील:–

| दिनांक | कार्यवाही एवं आदेश | विविध संदर्भ |
|---|---|---|
| 31.07.2023 | अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरूद्व अप्रार्थी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 25.08.2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर) | |
| 25-8-23 | पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त में रहने से पूर्ववत दिनांक 27-10-23 को प्रस्तुत हो। (हस्ताक्षर) रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां | |
| 27-10-23 | पीठासीन अधिकारी राजकार्य में व्यस्त में रहने से पूर्ववत दिनांक 13-12-23 को प्रस्तुत हो। (हस्ताक्षर) रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां | |
| 13-12-23 | पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त में रहने से पूर्ववत दिनांक 13-2-24 को प्रस्तुत हो। (हस्ताक्षर) रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां | |
| 13/2/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/पैरोकार हाजिर अप्र0 पत्रावली वास्ते जवाब पैरोकार हाजिर दिनांक 22/3/24 को पेश हो (हस्ताक्षर) | |
| 22.3.24 | पीठासीन अधिकारी उत्सव कार्य में रहने से पूर्ववत दिनांक 16.5.24 को प्रस्तुत हो। (हस्ताक्षर) रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां | |
| 16-5-24 | पीठासीन अधिकारी अवकाश पर में रहने से पूर्ववत दिनांक 25-6-24 को प्रस्तुत हो। (हस्ताक्षर) रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां | |

| | |
|---|---|
| 25-6-24 | पीठासीन अधिकारी तैनात नहीं है आवश्यक पधारे में रहने से पूर्ववत दिनांक 12-7-24 को प्रस्तुत हो। [signature] रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां |
| 30-12-24 | पत्रावली आज मेरे समक्ष पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार उप० पैरोकार सरकार से जवाब अप्राप्त पत्रावली वास्ते जवाब सरकार दिनांक 19-2-25 को पेश हो। [signature] |
| 19-2-25 | पीठासीन अधिकारी (अवकाश पर) में रहने से पूर्ववत दिनांक 21-4-25 को प्रस्तुत हो। [signature] रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां |
| 21-4-25 | पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार उप०। पैरोकार सरकार जवाब हेतु समय चाहते है। पत्रावली वास्ते जवाब सरकार दिनांक 14-5-25 को पेश हो। [signature] |
| 14-5-25 | पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त में रहने से पूर्ववत दिनांक 21-5-25 को प्रस्तुत हो। [signature] रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां |
| 21-5-25 | पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त में रहने से पूर्ववत दिनांक 28-5-25 को प्रस्तुत हो। [signature] रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां |
| 28/5/25 | पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार उप०। तहसीलदार बारां से प्राप्त रिपोर्ट मय पत्रावली हो चुकी वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार सुनी गई। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर आदेश किया गया। जारिये निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार, बारां को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील अभिलेख में प्रविष्ट हो। आदेश सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी बारां |

## निर्णय व इजलास श्री बनवारी लाल बैरवा (आर.ए.एस.)
## उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

**प्रकरण संख्या :–** 41/23
**दायरा दिनांक :–** 31.07.2023
**निर्णय दिनांक :–** 28/5/2025

**उनवान**

1. नारायण आयु 46 साल पुत्र दत्तक पुत्र श्री मंगला जाति गुर्जर निवासी कल्याणपुरा घाटा तह0 बारां जिला बारां राज0 प्रार्थी–

**बनाम**

2. श्रीमान तहसीलदार साहब बारां जिला बारां राज0 अप्रार्थी–

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट**
**निर्णय दिनांक :–** 28/5/25

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री मुरारीलाल एडवोकेट – प्रार्थी
2. पेरोकार सरकार – अप्रार्थी

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट राजस्व रिकार्ड नाम दुरूस्ती हेतु अप्रार्थी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी ग्राम कल्याणपुरा घाटा तह0 बारां जिला बारां का रहने वाला है, जिसके कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजियात खाता संख्या नया 41 में अंकित खसरा नं0 259 की रकबा 0.80 हे0, खसरा नं0 75 रकबा 0.48 हे0, कुल दो किता रकबा 1.28 हे0, आराजी वाके माल कल्याणपुरा घाटा तह0 बारां में है और इसी प्रकार वाके माल कल्याणपुरा घाटा तहसील बारां में खाता संख्या 40 में अंकित खसरा नं0 352/259 रकबा 0.35 हे0 आराजियात स्थित है, जिसमें सहवन से खातेदार नारायण वल्द बन्ना दर्ज हो गया है जो कि गलत है। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम नारायण दत्तक पुत्र मंगला है, तथा प्रार्थी ने मंगला के गोद गया था और दत्तक पुत्र बन कर मंगला जी की सेवा सुश्रुषा की है तथा मंगला जी की मृत्यु होने पर प्रार्थी द्वारा उनका क्रियाक्रम आदि किया गया है तथा मंगला जी की पगडी भी प्रार्थी के समाज व बन्धुओ के समक्ष बांधी गयी है तथा मंगला जी की मृत्यु के बाद उनकी आराजियात प्रार्थी के आयी है तथा मंगला जी की आराजियात का इन्तकाल संख्या 282 दिनांक 20.08.2014 को कार्यालय ग्राम पंचायत सम्बलपुर पंचायत समिति बारां में खोला गया है जो बिल्कुल सही खोला गया है तथा इन्तकाल में भी प्रार्थी नारायण दत्तक पुत्र मंगला दर्ज है, जिससे यह साबित हो जाता है कि प्रार्थी मंगला जी का गोद पुत्र है। नामान्तरण की जमाबन्दी में अमल करते समय नारायण दत्तक पुत्र मंगला के स्थान पर नारायण पुत्र बन्ना दर्ज कर दिया गया है जो बिल्कुल गलत है। प्रार्थी अपने दत्तक पिता मंगला जी की आराजियात में अपने पिता का नाम सही दर्ज करवा पाने का अधिकारी व नालिशी है। प्रार्थी के सरकारी समस्त दस्तावेजात में जैसे परिवार राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि में भी पिता का नाम मंगला दर्ज है। उक्त संशोधन करने बाबत प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता महोदय, के माध्यम से एक रजि0 नोटिस दिनांक 04.07.2023 को प्रेषित करवाया गया है लेकिन नोटिस की मियाद का इंतजार किया जाना संभव नही है, इस कारण

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

का वास्तविक नाम नारायण दत्तक पुत्र मंगला है, तथा प्रार्थी ने मंगला के

क्त कार्यवाही के साथ आवेदन अलग से पेश है कि आवेदन उचित न्यायशुल्क पर अवधि मध्य पेश है जिसे सुनने का माननीय न्यायालय में श्रीमान को श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बाबत बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के खातेदारी की आराजियात खाता संख्या 41 व खाता संख्या 40 में अंकित आराजी की जमाबन्दी में नारायण वल्द बन्ना के स्थान पर नारायण दत्तक पुत्र मंगला दर्ज करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कल्याणपुराघाटा सम्वत 2071–71, खाता संख्या नया 41 पुराना 43, नकल जमाबन्दी ग्राम कल्याणपुराघाटा सम्वत 2071–71, खाता संख्या नया 40, पुराना 65, नकल नोटिस कलेक्टर महोदय दिनांक 04.07.2023, तहसीलदार साहब बारां हस्ताक्षर प्रमाणित जमाबन्दीया दिनांक 27.07.2023, नकल इन्तकाल प्रमाणित रिकार्ड मय दिनांक 20.06.2023, मृत्यु प्रमाण पत्र मंगला दिनांक 15.12.1998, राशन कार्ड, पेन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेश किया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गयी। बहस के दौरान प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यो को दोहराया गया प्रार्थी का कथन है कि ग्राम कल्याणपुरा घाटा तह0 बारां जिला बारां का रहने वाला है, जिसके कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजियात खाता संख्या नया 41 में अंकित खसरा नं0 259 की रकबा 0.80 हे0, खसरा नं0 75 रकबा 0.48 हे0, कुल दो किता रकबा 1.28 हे0, आराजी वाके माल कल्याणपुरा घाटा तह0 बारां में है और इसी प्रकार वाके माल कल्याणपुरा घाटा तहसील बारां में खाता संख्या 40 में अंकित खसरा नं0 352/259 रकबा 0.35 हे0 आराजियात स्थित है, जिसमें सहवन से खातेदार नारायण वल्द बन्ना दर्ज हो गया है जो कि गलत है। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम नारायण दत्तक पुत्र मंगला है, तथा प्रार्थी ने मंगला के गोद गया था और दत्तक पुत्र बन कर मंगला जी की सेवा सुश्रुषा की है तथा मंगला जी की मृत्यु होने पर प्रार्थी द्वारा उनका क्रियाक्रम आदि किया गया है तथा मंगला जी की पगडी भी प्रार्थी के समाज व बन्धुओ के समक्ष बांधी गयी है तथा मंगला जी की मृत्यु के बाद उनकी आराजियात प्रार्थी के आयी है तथा मंगला जी की आराजियात का इन्तकाल संख्या 282 दिनांक 20.08.2014 को कार्यालय ग्राम पंचायत सम्बलपुर पंचायत समिति बारां में खोला गया है जो बिल्कुल सही खोला गया है तथा इन्तकाल में भी प्रार्थी नारायण दत्तक पुत्र मंगला दर्ज है, जिससे यह साबित हो जाता है कि प्रार्थी मंगला जी का गोद पुत्र है। नामान्तरण की जमाबन्दी में अमल करते समय नारायण दत्तक पुत्र मंगला के स्थान पर नारायण पुत्र बन्ना दर्ज कर दिया गया है जो बिल्कुल गलत है। प्रार्थी अपने दत्तक पिता मंगला जी की आराजियात में अपने पिता का नाम सही दर्ज करवा पाने का अधिकारी व नालिशी है। प्रार्थी के सरकारी समस्त दस्तावेजात में जैसे परिवार राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि में भी पिता का नाम मंगला दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के खातेदारी की आराजियात खाता संख्या 41 व खाता संख्या 40 में अंकित आराजी की जमाबन्दी में नारायण वल्द बन्ना के स्थान पर नारायण दत्तक पुत्र मंगला दर्ज करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गयी। पत्रावली एव रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल ग्राम कल्यायाणपुरा घाटा तहसील बारां की जमाबन्दी खाता संख्या 40 खसरा नं0 352/259 रकबा 0.35 हे0, तथा खाता संख्या 41 खसरा नं0 259, 75 किता 2 रकबा 1.28

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

0, भूमि नारायण पुत्र बन्ना जाति गुर्जर की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी नारायण जमाबन्दी रिकार्ड में वल्दियत सही करवाकर नारायण दत्तक पुत्र मंगला दर्ज करवाना चाहता है। उक्त भूमि खसरा संख्या 352/259 रकबा 0.35 हे0, 259 रकबा 0.80 हे0, तथा खसरा संख्या 75 रकबा 0.48 हे0, किता 2 रकबा 1.28 हे0, जमाबन्दी सम्वत 2055–58 मंगला पुत्र प्रहलाद कोम गुर्जर सा0 देह की खातेदारी में दर्ज थी जो नामा0 संख्या 134 से मंगला के लाऔलाद फौत होने से एकमात्र मृतक भाई बन्ना के वारिसान नारायण, श्योजी, सूसर, शोयर के नाम दर्ज हुई। उक्त नामा0 में रिपोर्ट पटवारी अनुसार नारायण को खातेदार मंगला द्वारा गोद लिया जाना बताया गया किन्तु फैसले में मंगला के भाई बन्ना के सभी वारिसान का नाम दर्ज किया जाने का आदेश दिया गया। खसरा संख्या 352/259 रकबा 0.35 हे0, भूमि का नामा संख्या 282 से नामा0 दर्ज हुआ जिसमें मंगला के वारिसान भाई बन्ना के पुत्र नारायण, श्योजी, सूसर शोयर सजरा दर्ज कर बताए गए। उक्त नामा0 में भी रिपोर्ट पटवारी में नारायण को मंगला द्वारा गोद लिया जाना बताया गया तथा ग्राम पंचायत सम्बलपुर में दिनांक 20.08.2014 को कोरम की मीटिंग में खसरा संख्या 352/259 में मंगला के लाऔलाद फौत होने व उसकी बेवा के नाते चले जाने से दत्तक पुत्र नारायण का ही नाम दर्ज करने की स्वीकृति दी गई। प्रार्थी नारायण के पास गोदनामा नही होने से नामा संख्या 134 से किता 2/1.28 हे0 भूमि में बन्ना के समस्त वारिसान का नाम दर्ज किया गया इस कारण उक्त खसरा संख्या किता 2/1.28 हे0 भूमि में वर्तमान में नारायण पुत्र बन्ना जाति गुर्जर ही खातेदारी में दर्ज है तथा नामा संख्या 282 में पंचायत के कोरम के निर्णय में समस्त ग्रामवासियों वार्डपंच द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र जिसमें नारायण को मंगला का दत्तक पुत्र बताया गया है के आधार पर बन्ना के समस्त वारिसान के बजाय सिर्फ नारायण का नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया किन्तु नवीन जमाबन्दी में नारायण पुत्र बन्ना जाति गुर्जर सा0 देह दर्ज किया गया। अतः प्रार्थी ने समस्त दस्तोवजों में वल्दियत में पिता का नाम मंगला होना बताया है तथा नामा संख्याा 134 व 282 में भी पटवारी रिपोर्ट अनुसार नारायण को मंगला का दत्तक पुत्र बताया गया है तथा नामा संख्या 282 में पंचायत के फैसले में भी नारायण को मंगला का दत्तक पुत्र मानते हुए मंगला की खातेदारी भूमि में नारायण का नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया इसलिए प्रार्थी का जमाबन्दी रिकार्ड में नारायण पुत्र बन्ना के स्थान पर नारायण दत्तक पुत्र मंगला पुत्र बन्ना जाति गुर्जर तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार किया जाना न्यायोचित है।

**:: क्रियात्मक आदेश ::**

उपरोक्त विवेचानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम कल्याणपुराघाटा की आराजियात वर्तमान खाता संख्या नया 40, पुराना खाता संख्या 48, खसरा संख्या 259, 75, व खाता संख्या नया 40, पुराना खाता संख्या 65, खसरा नं0 352/259, ग्राम कल्याणपुराघाटा तहसील व जिला बारां की आराजियात में प्रार्थी का नाम नारायण पुत्र बन्ना के स्थान पर नारायण दत्तक पुत्र मंगला पुत्र बन्ना जाति गुर्जर दर्ज करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है, तथा बैंक का रहन दर्ज यथावत रहेगा।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बनवारी लाल बैरवा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां